बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी-प्रतिवेदन

(भाग-१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २८ जुलाई, १९७८

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
	अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या ९; १०, ११,	१-१०
	तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या ८२३, १२०४, १२०९, १२११, १८४०, १८४१, १८४२, १८४३, १८४४, १८४६, १८५२, १८५४, १८५८, १६५९, १८६१, १८६३, १८६७, १८७०, १८७२, १८७४, १८७७, १८७८, १८७९, १८८०, १८८२; १८८४, १८८८, १८८९,	१०-७५

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—सैंकड़ों आदमी कोयला का रोजगार कर रहे थे तो ये कितने दिनों से रोजगार कर रहे थे ?

श्री महाबीर प्रसाद—१९५६ से ही लाइसेन्स लेना लागू था। कुछ लोग उसी समय से यह रोजगार कर रहे थे, कुछ हो सकता है, उसके दो साल, चार साल, या दस साल बाद से यह रोजगार कर रहे हों।

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—सैंकड़ों आदमी इतने दिनों से कर वंचना का काम कर रहे थे तो सरकार उन अफसरों के प्रति क्या कार्रवाई करेगी जिनके नेग्लीजेंस से यह काम होता चला आ रहा था ?

श्री महाबीर प्रसाद—यह जो काम होता चला आ रहा था इसको हमने पकड़ा। अब हमने कहा कि लाइसेन्स लेना जरूरी होगा। मैं इस बात की छानबीन कराऊँगा कि यह मामला इतने दिनों तक कैसे दबा हुआ था और उसपर कार्रवाई करूँगा।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, १९५६ से कुछ लोग यह रोजगार करते चले आ रहे थे, इतने दिनों तक यह काम होता आया और सरकार को टैक्स नहीं मिलता रहा तो जिन अफसरों के नेग्लीजेंस से, लापरवाही से यह काम हुआ उनलोगों के प्रति सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री महाबीर प्रसाद—१९५६ से यह लाइसेंस लेना लागू था, लेकिन इधर हमलोगों ने ध्यान दिया है और इसको पकड़ा है। सारी बातों को हम देखेंगे और उसपर जो आवश्यक कार्रवाई होगी, करेंगे।

जाली फर्म के विरुद्ध कार्रवाई।

१२०९. श्री विक्रम कुअर एवं श्री कृष्ण प्रताप सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बताने कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग की लेखा-शाखा के उप-सचिव ने दिनांक ६ अगस्त १९७५ को अरविन्द सप्लायर्स, कंकड़बाग रोड, पटना-१ के क्रेडिट मेमो पर तीन सौ चौसठ रुपये का भुगतानादेश हस्ताक्षरित किया है, जबकि फर्म का नामोनिशान पटना में नहीं है और सभी भुगतान जाली हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि लेखा-शाखा के निबन्धक श्री जगदीश प्रसाद सिंह ने भी अरविन्द सप्लायर्स, कंकड़बाग रोड, पटना-१ के कई क्रेडिट मेमो पर विभिन्न वस्तुओं की फर्जी खरीद के एवज में हजारों रुपये का भुगतानादेश हस्ताक्षरित किये हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि अरविन्द सप्लायर्स, कंकड़बाग रोड, पटना के भाउचरों का भुगतान वित्त विभाग की लेखा शाखा के प्रशाखा पदाधिकारी श्री मोती लाल यादव के पहचान करने पर व्यक्ति विशेष को किया गया है;

(४) क्या यह बात सही है कि अरविन्द सप्लायर्स, कंकड़बाग रोड, पटना-१ के खंड (१) में वर्णित भाउचर एवं अन्य भाउचर का भुगतान एक ही दिन एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग हस्ताक्षर कर प्राप्त किया है;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि अरविन्द सप्लायर्स, कंकड़बाग रोड, पटना-१ जैसे जाली फर्म के कितने जाली क्रेडिट मेमो पर १९७५-७६ एवं १९७६-७७ वर्ष में कुल कितने रुपयों का किस व्यक्ति ने जाली भुगतान प्राप्त किया है। और एक ही व्यक्ति के अलग-अलग हस्ताक्षर की पहचान बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार करती है, यदि हाँ, तो कौन-सी और कबतक ?

श्री कैलाशपति मिश्र —(१) जहाँ तक अरविन्द सप्लायर्स के रुपये ३६४ के क्रेडिट मेमो पर भुगतानादेश देने की बात है, उत्तर स्वीकारात्मक है किन्तु फर्म के नहीं होने अथवा इसके जाली होने के संबंध में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग में जाँच करायी जायेगी।

(२) विभाग में क्रय किये गये सामानों के भुगतान हेतु पच्चीस रुपये के विपत्र पारित करने की शक्ति निबंधक को प्रदत्त है एवं लेखाशाला के निबंधक श्री जगदीश प्रसाद सिंह ने इसी प्रदत शक्ति के अधीन १९७५-७६ में कुल १००४ रुपये के विपत्रों पर भुगतानादेश दिया है। १९७६-७७ एवं १९७७-७८ में इस फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(३) भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार भुगतान के समय पहचान की आवश्यकता होती है, किन्तु इस मामले में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री मोतीलाल यादव, प्रशाखा पदाधिकारी ने पहचान बनाया था।

(४ एवं ५) इस मामले की जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से करायी जायगी। जाँच के निष्कर्ष के आधार पर उचित कार्रवाई सरकार करेगी।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :—उपाध्यक्ष महादय, एक ही आदमी ने कई आदमियों के हस्ताक्षर बनाकर विपत्र का भुगतान लिया है इसकी जाँच आप किस माध्यम से कराना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष—इन्होंने कहा, मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग) से जाँच करायी जायगी ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह—एक ही व्यक्ति ने जाली हस्ताक्षर करके कई आदमियों के हस्ताक्षर बनाये है, इसलिये क्या आप इस पर हस्ताक्षर एक्सपर्ट से जाँच करायेंगे ?

श्री कैलाशपति मिश्र—मैंने कहा है कि इस मामले की जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग) से करायी जायगी । जाँच के निष्कर्ष के आधार पर उचित कार्रवाई सरकार करेगी ।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—उपाध्यक्ष नहोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है । खण्ड (३) के उत्तर में बताया गया कि श्री मोतीलाल यादव ने पहचान नहीं बनायी थी । लेकिन पहचान तो किसी ने बनायी ही होगी ? यह तो संचिका में होगा । पहचान किसने बनायी ?

श्री कैलाशपति मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के साथ जो बातें जुड़ी हुई है, इसीलिये सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग) से जाँच करायी जायगी । जाँच कराने के बाद और चीजें प्रकाश में आयेंगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जायगी ।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—किसी के पहचान कराने के बाद ही कोई पदाधिकारी भुगतान करते हैं । जब कोई पहचान नहीं बनाता है तो वह पदाधिकारी भुगतान का आदेश नहीं देता है । श्री मोतीलाल यादव ने नहीं बनायी, किसी मित्र ने बनायी, तो इस बात की जाँच सरकार ने करायी है ?

श्री कैलाशपति मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें साफ रहती तो जाँच कराने की जरूरत क्या रहती ?

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—किसी ने पहचान बनायी या नहीं ?

श्री कैलासपति मिश्र—भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार भुगतान के समय पहचान की आवश्यकता होती है, किन्तु इस मामले में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री मोतीलाल यादव, प्रशाखा पदाधिकारी ने पहचान बनायी थी ।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—पहचान हुई है या नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष—जवाब में हैं "नहीं हुआ है।" पहचानने की प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन इस केस में ये कहते है कि पहचान नहीं हुई है, इसकी छानबीन करवा रहे हैं।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—मंत्री महोदय ने बताया कि श्री मोतीलाल यादव ने पहचान बनायी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री कैलासपति मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि विपत्र पारित करने की सीमा २५ रुपया है और कुल मिलाकर १,००४ रुपये की राशि पारित की गयी है, अनेक विपत्रों में। इन सब मामले में पहचान करायी गयी या नहीं, इसकी जाँच के लिये कहा है।

रुपये का गोलमाल

१२११. श्री नवल किशोर शाही—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह बात सही है कि विस्कोमान के सौर्टेज आफिसर, श्री डी० पी० वर्मा, ने सन् १९७६-७७ में १ करोड़ रु० का गोलमाल किया था जिसकी जाँच निगरानी विभाग ने किया था;

(२) क्या यह बात सही है कि नवम्बर, १९७७ के विधान सभा सत्र में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोप की जांच निगरानी विभाग से कराकर उन पर मुकदमा चलाने का आश्वासन सहकारिता मंत्री ने दिया था;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उन पर कब तक मुकदमा चलाने जा रही है ?

श्री जगेश्वर मंडल—(१) विस्कोमान के सौर्टेज औफिसर श्री डी० पी० वर्मा, के विरुद्ध आरोपों की जांच दिनांक २८-१०-७७ से ही निगरानी विभाग ने शुरू की है, जाँच जारी है।

(२) यह बात सही है कि मैंने विगत नवम्बर सत्र में सदन को यह आश्वासन दिया था कि श्री डी० पी० वर्मा द्वारा किये गये कथित गोलमाल एवं अर्जित की गयी सम्पत्ति की जांच एक वरीय पदाधिकारी द्वारा सरकार करायेगी। इस आश्वासन के अनुपालन में विस्कोमान के एक वरीय पदाधिकारी द्वारा श्री वर्मा के कंकड़बाग